न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) कक्ष संख्या–10, देवरिया
वाद संख्या– 43/2021
श्रीराम पाण्डेय –प्रति– श्रीमती पार्वती देवी आदि
——

<u>05–01–2021</u>

वाद संस्थित होकर मुंसरिम प्रतिवेदन के साथ पेश हुआ। अंगीकृत, पंजीकृत हो। सम्मन वास्ते वादोत्तर दिनॉक–15–02–2021 व वाद विन्दु दिनॉक–23–02–2021 के लिए जारी हो। बाद पैरवी प्रतिवादिनीगण को सम्मन वाद–पत्र की प्रति लगाकार उभय प्रकार जारी हो। पैरवी वादी 05 दिन मे करें ।

सिविल जज, जू0 डि0
कक्ष संख्या–10,देवरिया

<u>05–01–2021</u>

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 6ग पर एकपक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली मे दाखिल प्रलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र 6ग के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वाद पत्र मे वर्णित विवादित आराजी के वावत प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तरिम व्यादेश का अनुतोष याचित किया गया है, एवं वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे 08ग सूची से 09ग/1 ता 09ग/2 खतौनी की सत्यप्रति, 10ग/1 ता 10ग/14 बैनामा की सत्यप्रति प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी प्रस्तुत याचिका के माध्यम से प्रतिवादीगण के विरूद्ध इम्तनाई के साथ–साथ बैनामा मंसूखी का अनुतोष भी याचित किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रतिवादीगण को सुना जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। मुन्सरीम आख्या के अनुसार पत्रावली मे कैबिएट नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस वास्ते <u>आपत्ति/निस्तारण</u> 6ग दिनांक– 05–02–2021 के लिए जारी हो। पैरवी अन्दर–05 दिन किया जावे।

सिविल जज, जू0 डि0
कक्ष संख्या–10,देवरिया